

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ (144) आकाशे, अनु/2004/ 7081

आदेश

दिनांक:- 3/11/2011

123

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 से पूर्व में आवंटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	144	टैगोर महाविद्यालय	वाँली जिला सवाईमाधोपुर	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	पूर्व आवंटित विषय एवं संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय भूगोल, हिन्दी, राजनीति विज्ञान


1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी प्रत्याख्यान करने पर उसके विद्यार्थी कब भी अपनी सहायता को प्रत्याखरित (Withdrawn) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएँ भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक

कालेज शिक्षा राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवरयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, भा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।



PRINCIPAL

Tagore P.G. College Bonh
Sawai Madhopur (Raj.)

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)